



ऑरिजीनेट
 - 1042 -
 ऑरिजीनेट
 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148
 (जिला कलेक्टर) टांक

ऑरिजीनेटक अप्रार्थी संख्या 2 में जगद्व प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण हेतु ग्राम 41, 47 कि० मी० विवायक में स्थित मकान/मंजूर वार्ड ग्राम नजीरपुरा में अर्वाण की गई है। अर्वाण ग्राम निर्माण आदि का मुआवजा राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट एवं सरकार द्वारा अंकित स्वतंत्र सर्वे एंजिनी की सर्व रिपोर्ट के अर्वाण संबंधित हितधिकारी की विधि के प्रार्थना के अर्वाण अर्वाड पारित किया गया है। अर्वाण ग्राम का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थना को 3 सी के अन्तर्गत अर्वाण प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, जिस-जिस व्यक्ति द्वारा अर्वाण प्रस्तुत गई उनका विधि के अर्वाण निस्तारण किसे जाने के उपरान्त संक्षम

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीकरण की गई एवं अर्वाड पत्रावली तलब की गई। अर्वाड पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त। प्रकरण में उभयपक्ष की सहस्य सुनी गई।

प्रार्थना पत्र का साक्षात् इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण में ग्राम नजीरपुरा तहसील जिला राज राज निर्याण कर डीएलसी में स्थित मकान/मंजूर का मुआवजा विधिगीकरण द्वारा जगत निर्याण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थी अपनी ग्राम पर स्थित मकान/मंजूर का बाजार मूल्य की दर से 5,00,000 रूपये का मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः सरकारों ग्राम पर स्थित परिस्मृतियों का अर्वाड दिनांक 27.09.2021 का निरस्त कर मकान/मंजूर का बाजार मूल्य की दर से 5,00,000 रूपये का मुआवजा राशि प्राप्त कर लेना चाहिए।

निर्णय
 दिनांक 06.05.2026

- (1) श्री दीनाराम चौधरी, ऑरिजीनेटक प्रार्थी
 - (2) श्री खमबन्द शर्मा, ऑरिजीनेटक अप्रार्थी संख्या-2
- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

- 1-संक्षम प्राधिकारी ग्राम अर्वाण, राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 148 एन (उपखण्ड अधिकारी) जिला टांक राज
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, जिला टांक राज

बनाम
 राज
 रामप्रसाद पुत्र लड्डू लाल जालि बैरवा निवासी नजीरपुरा तहसील जिला टांक राज
 प्रविष्टि दिनांक 07.02.2022
 13/2022

(टीना लबी, आई०ए०५५० द्वारा अध्यास्थित)
न्यायालय जिला कलेक्टर (ऑरिजीनेट) टांक

